FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0102 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/05/2024 19:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 27/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/05/2024 **Time (समय):** 18:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/05/2024 19:26:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 110 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** SDM OFFICE, KOTPUTALI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEEN DYAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** FAKIRCHAND SAINI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MALI TIBBA MOHALLA, NARNOL MAHENDRA GADH, HARIYANA, महेंद्रगढ़, हरियाणा, INDIA
2	स्थायी पता	MALI TIBBA MOHALLA, NARNOL MAHENDRA GADH, HARIYANA, महेंद्रगढ़, हरियाणा, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-6260226457

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	OM PRAKASH		पिता:SULTAN SINGH MEENA	1. HEERAMOTI CINEMA KE PICHE,KOTPUTLI,कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		17,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 17,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 11.03.2024 को श्री ललित किशोर शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री दीनदयाल पुत्र श्री फकीरचन्द सैनी, उम्र 46 साल, जाति माली, निवासी माली टीबा मोहल्ला, नीयर शोभा सागर तालाब, बहरोड रोड नारनौल, महेन्द्रगढ हरियाणा से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री दीनदयाल को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईडब्ल्यु, ए.सी.बी. जयपुर को सम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री दीनदयाल ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व इस पर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही हैं। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "मैं नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा का रहने वाला हुँ। मेरी जमीन जो मेरी पत्नी के नाम पनियाला मोड कोटपूतली, तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड में आती है, जिसमें से कुछ जमीन नेशनल हाईवे ने अधिग्रहण की है। अधिग्रहण के बदले में जो मुवावजा राशि करीब 17,68,400/-रूपये के आस पास मिलना था। यह राशि वर्ष 2022 में पारित हो गई थी किन्तु अभी तक राशि मेरी पत्नी को नहीं मिली है। एस.डी.एम. ऑफिस कोटपूतली का कर्मचारी जिसका नाम ओमप्रकाश है मेरे से मुआवजा राशि जारी करने के बदले मुआवजा राशि का 1 प्रतिशत रिश्वत राशि की मांग कर रहा हैं। मेरे से रिश्वत राशि मांगने के लिए ओमप्रकाश के द्वारा मोबाईल नम्बर 9928696671 से फोन किया जा रहा है तथा रिश्वत मांगने के सम्बंध में उससे मोबाईल पर हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग भी मेरे फोन में मौजूद है। मेरी उक्त जमीन जो मेरी पत्नी के नाम है, उसका खसरा न. 468 पुराना एवं नया खसरा नम्बर 642 पटवार हल्का कोटपूतली तहसील कोटपूतली में आता है। मैं ओमप्रकाश को रिश्वत नहीं देना चाहता हॅू तथा ओमप्रकाश को रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथों पकडवाना चाहता है। मेरा ओमप्रकाश से कोई लेनदेन बाकी नहीं है और ना ही मेरी ओमप्रकाश से कोई पूरानी रंजीश है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादी द्वारा उसके मोबाईल में मौजूद उसके व संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता की रिकॉर्डिंग चलाकर मन पुलिस निरीक्षक को सुनाई गई, जिस पर परिवादी को मोबाईल में उक्त रिकॉर्डिंग यथावत सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजीद दरियाफ्त एवं उक्त रिकॉर्डिंग सुनने से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु दिनांक 11.03.2024 को कार्यालय के श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 को परिवादी श्री दीनदयाल के साथ भेजकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तथा परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग किया जाना सत्यापित होने पर दिनांक 12.03.2024 को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जन्तर मन्तर, जयपुर एंव श्री रजनीश कुमार गोयल कनिष्ट सहायक, अलबर्ट हाल, जयपुर तलब किये गये। परिवादी श्री दीनदयाल को जरिये फोन रिश्वत राशि सहित दिनांक 13.03.2024 को समय 10.00 बजे कोटपूतली में मिलने व मोबाईल फोन चालू रखने की हिदायत की गई तथा दोनों स्वतंत्र गवाहन व कार्यालय स्टाफ को भी दिनांक 13.03.2024 को प्रातः 07.30 बजे कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 13.03.2024 को समय 07.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार शर्मा एवं श्री रजनीश कुमार गोयल कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आने पर उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही बाबत अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही में गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर गवाहान को मुनासिब हिदायत की गई। तत्पश्चात समय 08.00 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप, प्रिन्टर व अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही दो सरकारी वाहनों से उत्तर-पुर्व दिशा के लिए रवाना हुई। श्री कल्याण सहाय कानि. 383 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी हमराह दूसरी गाडी के डेस्कबोर्ड में रखवाई

गई तथा कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को हमराह लिया गया। तत्पश्चात समय 10.30 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा कोटपूतली पहुंची जहां परिवादी श्री दीनदयाल उपस्थित मिला। परिवादी को हमराह लेकर कोटपूतली एनएच-8 पर स्थित होटल तिरूपती पहुंचे, जहां गोपनीय रूप से मुकीम होकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से दिनांक 11.03.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन उसके व परिवादी के मध्य हुई वार्ता के सम्बंध में पूछने पर परिवादी ने अवगत करवाया कि दिनांक 11.03.2024 को आरोपी ने मुझसे हमारी जमीन की मुआवजा राशि स्वीकृत करवाने के बदले कुल मुआवजा राशि का 1 प्रतिषत 17,000/- रूपये रिश्वत की मांग की है। हमारे बीच हुई उक्त वार्ता को मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। तत्पष्चात समय 11.00 ए. एम. पर परिवादी श्री दीनदयाल का दोनों स्वतन्त्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य दिनांक 11.03.2024 को हुई गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय हाजा के सरकारी डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त रिकार्डशुदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की चार सीडियां तैयार की जाकर तीन सीडियों को सील्ड मोहर किया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड हुई थी उक्त मैमोरी कार्ड को भी सील्ड मोहर किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.45 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री दीनदयाल सैनी को उसके द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करते समय सुनाई गई उसकी व संदिग्ध आरोपी श्री ओम प्रकाश की मोबाईल पर हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, मन पुलिस निरीक्षक को उसके मोबाईल में मौजूद उक्त रिकॉर्डिंग पेश की गई। उक्त रिकॉर्डिंग को परिवादी के मोबाईल से एक मैमोरी कार्ड में कॉपी किया जाकर उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के लैपटॉप से जोडकर रिकॉर्डिंग को सुना गया व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को सुनाया गया तथा रिकॉर्ड शुदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की भी चार सीडियां तैयार की जाकर तीन सीडियों को सील्ड मोहर किया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड को भी सील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गोपनीय रूप से मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि संदिग्ध आरोपी कार्यालय में मौजूद नहीं हैं। परिवादी से आरोपी के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद समय 04.30 पी.एम. पर गोपनीय रूप से मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि संदिग्ध आरोपी अभी तक भी कार्यालय में उपस्थित नहीं आया है। परिवादी ने अवगत करवाया कि इस दौरान मैने कई बार संदिग्ध आरोपी को कॉल किया किन्तु आरोपी मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है तथा मेरा फोन काट रहा है। शायद उसको शक हो गया है इसलिए वह मेरा फोन नहीं उठा रहा है, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई। उसके बाद समय 05.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही की संभावना नहीं होने के मध्यनजर समस्त हालात से उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया तथा निर्देशानुसार परिवादी को संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क होने पर अविलम्ब मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने, गोपनीयता बनाये रखने व अन्य आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, समस्त ट्रेप पार्टी सदस्य मय सील्डशुदा/जब्तशुदा आर्टिकल्स, ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं पत्रावली सहित वहां से रवाना होकर वापिस ब्यूरो मुख्यालय जयपुर उपस्थित आई। दिनांक 18.03.2024 को समय 08.00 ए.एम. पर परिवादी श्री दीनदयाल ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि अभी कुछ देर पहले संदिग्ध आरोपी को मैने जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो संदिग्ध आरोपी ने मुझे आज दिनांक 18.03.2024 को ही एस.डी.एम. कार्यालय, कोटपूतली पर बुलाया है, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखते हुऐ दोपहर 12.30 बजे रिश्वत राशि सहित कोटपूतली मे मिलने की हिदायत की गई तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय स्टाफ को भी जरिये मोबाईल प्रातः 09.30 बजे कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय 10.30 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप, प्रिन्टर व पत्रावली एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से रवाना होकर दोपहर 12.30 बजे कोटपूतली पहुंची, जहां परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी को हमराह लेकर कोटपूतली स्थित होटल दीवान पहुची, जहां गोपनीय रूप से मुकीम होकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात समय 01.00 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री दीनदयाल को संदिग्ध आरोपी ओमप्रकाश को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री दीनदयाल ने अपने पास से 500-500 रूपये के 34 भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 17,000/-रूपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उसके बाद उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 17,000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री गिरधारी लाल कानि. 298 से हमराह गाडी के डैसबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री दीनदयाल की जामा तलाशी गवाह श्री राजेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई जाकर उसके पास

उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 17,000/-रू0 के नोट सीधे ही श्री गिरधारी लाल कानि से परिवादी श्री दीनदयाल की पहनी हुए पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छूवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉंल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री गिरधारी लाल कानि जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री गिरधारी लाल कानि से गाडी के डैसबोर्ड में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर श्री गिरधारी लाल कानि के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री गिरधारी लाल कानि को होटल में ही रहने की हिदायत कर वहीं छोडा गया। रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉंयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑंपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉंर्डर में रिकॉंर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉंर्डर श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करे। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 01.50 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप, प्रिन्टर व पत्रावली एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित होटल दीवान से रवाना होकर एस.डी.एम. कार्यालय कोटपूतली के पास पहुंची, जहां गाडी को साईड में लगवाकर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व टीम को गाडी से नीचे उतरवाकर एस.डी.एम. कार्यालय कोटपूतली के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। उसी समय श्री लक्ष्मीनारायण कानि. ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकॉंर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है। उसके बाद समय 02.55 पी.एम. पर परिवादी श्री दीनदयाल एस.डी.एम कार्यालय कोटपूतली के बाहर मन पुलिस निरीक्षक के पास आया और डिजिटल वॉंईस रिकॉंर्ड निकाल कर मुझे सुपूर्द किया। मन पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉंईस रिकॉंर्ड को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मैं संदिग्ध आरोपी के पास उसके कक्ष में गया था वहां आरोपी मौजूद मिला। मैने आरोपी से मेरे कार्य के संबंध में वार्ता की तथा उसकी मांग के अनुसार रिश्वत राशि की चर्चा की तो आरोपी ने कहा कि पहले आपका काम हो जाने दो उसके बाद ले लूंगा। आरोपी को मुझ पर शक हो गया है इसलिए उसने अभी रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की व बाद में लेने के लिए कहा हैं। मेरी पहले गिरदावर से मुलाकात हुई थी, गिरदावर ने आरोपी को मेरे से सावधान रहने के लिए कह दिया इसलिए आरोपी को मुझ पर शक हो गया, जिस कारण पहले वह मेरा फोन नहीं उठा रहा था व अभी रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की तथा मेरा काम हो जाने के बाद प्राप्त करने हेतु कहा है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉंईस रिकॉंडर में रिकॉंर्ड वार्ता को लेपटॉंप की सहायता से सरसरी तौर पर सुना गया तथा समस्त हालात उच्चाधिकारियों को अवगत करवाये गये। उसके बाद संदिग्ध आरोपी को ट्रेप कार्यवाही का संदेह होने के कारण अभी परिवादी श्री दीनदयाल से रिश्वत राशि प्राप्त करने की संभावना नहीं होने के मध्यनजर परिवादी से रिश्वत राशि वापस प्राप्त की जाकर एक सफेद कागज मे लपेटकर मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखी गई। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के लिए सम्पर्क करते ही अविलम्ब मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने एवं कल दिनांक 19.03.2024 को ब्यूरो कार्यालय, जयपुर में उपस्थित होने की हिदायत की जाकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप, प्रिन्टर व पत्रावली सहित कोटपूतली से रवाना होकर वापिस ब्यूरो मुख्यालय जयपुर उपस्थित आई। डिजीटल वाईस रिकॉंर्डर तथा रिश्वत राशि को मन पुलिस निरीक्षक की कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने व मोबाईल फोन चालू रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 21.03.2024 समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री दीनदयाल तथा दोनों

स्वतंत्र गवाहन मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। तत्पश्चात समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री दीनदयाल व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व आरोपी श्री ओमप्रकाश के मध्य रिश्वत राशि लेन देन हेतु की गई कार्यवाही के समय दिनाक 18.03.2024 को हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वाॅयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, उक्त वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की चार सीडियां तैयार की जाकर तीन सीडियों को सील्ड मोहर किया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को भी सील्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री दीनदयाल ने मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई रिश्वत राशि को वापिस लौटाये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि मुझे अभी रूपये की सख्त आवश्यकता है। इसलिए आरोपी को दिये जाने के लिए मेरे द्वारा आपको पूर्व में प्रस्तुत किये गये रिश्वत राशि के 17,000/- रूपये मुझे वापिस लौटायें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के लिए मेरे से सम्पर्क किये जाने पर मैं आपको दौबारा रिश्वत राशि 17,000/- रूपये पेश कर दूंगा। इस पर हालात उच्चाधिकारियों को अवगत कराये गये तथा निर्देशानुसार रिश्वत राशि 17,000/- रूपये को परिवादी श्री दीनदयाल को संभलाकर वापिस लौटाये गये तथा परिवादी श्री दीनदयाल को गोपनीयता बनाये रखने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के लिए सम्पर्क किये जाने पर अविलम्ब मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराने व अन्य आवश्यक हिदायत की गई तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की जाकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 08.05.2024 को परिवादी श्री दीनदयाल ने जरिये फोन मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि दो तीन दिन पहले फिर मेरे पास संदिग्ध आरोपी का काँल आया था उसने मुझे रिश्वत राशि देने हेतु बुलाया है। जिस पर परिवादी को अविलम्ब रिश्वत राशि सहित कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने हेतु कहने पर परिवादी ने बताया कि मैं जल्द ही कार्यवाही हेतु आपके समक्ष उपस्थित होउंगा। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात दिनांक 24.05.2024 को परिवादी श्री दीनदयाल ने जरिये फोन मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मैं सोमवार दिनांक 27.05.2024 को घर आ रहा हूं इसलिए कार्यवाही हेतु आपके समक्ष उपस्थित हो जाउंगा। जिसपर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 27.05.2024 को प्रातः 11.00 बजे रिश्वत राशि सहित कोटपूतली में उपस्थित मिलने व गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य मुनासिब हिदायत की गई। दिनांक 26.05.2024 को परिवादी श्री दीनदयाल ने जरिये फोन मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मैं खण्डवा से रवाना हो गया हूं तथा कल दिनांक 27.05.2024 को प्रात 11.00 बजे आपको कोटपूतली में उपस्थित मिल जाउंगा, जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई। तथा अन्य गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय स्टाफ को जरिये फोन कल दिनांक 27.05.2024 को प्रातः 7.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। दिनांक 27.05.2024 को प्रातः 8.00 बजे पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश कुमार गुर्जर वरिष्ठ सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन प्रथम झालाना डूंगरी जयपुर व श्री कपिल भाटिया वरिष्ठ सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन प्रथम झालाना डूंगरी जयपुर कार्यालय मे मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही बाबत अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही में गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर गवाहान को मुनासिब हिदायत की गई। उसके बाद प्रातः 8.15 बजे मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही दो सरकारी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर प्रातः 11.00 बजे कोटपूतली पहुँची, जहां परिवादी श्री दीनदयाल उपस्थित मिला परिवादी को हमराह लेकर कोटपूतली स्थित होटल दीवान में गोपनीय रूप से मुकीम हुई। तत्पश्चात प्रातः 11.30 बजे स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री दीनदयाल को संदिग्ध आरोपी श्री ओमप्रकाश को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री दीनदयाल ने अपने पास से 500-500 रूपये के चौतीस भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 17,000/-रूपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। परिवादी ने अवगत करवाया कि यह वही नोट हैं जो मैने दिनांक 18.03.2024 को ट्रेप कार्यवाही के लिए स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आपको प्रस्तुत किये थे तथा उस दिन कार्यवाही नहीं होने पर दिनांक 21.03.2024 को आपने मुझे वापिस लौटा दिये थे, मैने इन नोटों को यथास्थिति अपने पास सम्भाल कर रखा था, वही नोट आज आपको दोबारा प्रस्तुत कर रहा हूं। परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 17,000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. 442 से हमराह गाडी के डैसबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री दीनदयाल की जामा तलाशी गवाह श्री रोहिताश कुमार गुर्जर से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 17,000/-रू0 के नोट सीधे ही श्री भूपेन्द्र कुमार कानि से परिवादी श्री दीनदयाल की पहनी हुए पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये

तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छूवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस काँल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री भूपेन्द्र कुमार कानि जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री भूपेन्द्र कुमार कानि से गाडी के डैसबोर्ड में रखवायी जाकर गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त गिलास व अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री भूपेन्द्र कुमार कानि के हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री भूपेन्द्र कुमार कानि को होटल में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वाँयस रिकाँर्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (आँपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकाँर्डर में रिकाँर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकाँर्डर श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करे। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपूर्दगी डिजीटल वाईस रिकाँर्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। उसके बाद दोपहर 1.03 बजे मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित होटल दीवान से रवाना होकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के पास पहुंची जहां मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराह स्वतंत्र गवाहान व टीम को गाडी से नीचे उतरवाकर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। श्री लक्ष्मीनारायण कानि. ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकाँर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है। तत्पश्चात दोपहर 2.40 बजे परिवादी श्री दीनदयाल ने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के सामने बायीं ओर रोड के दूसरी तरफ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय के सामने स्थित संकरी गली से वापिस उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की तरफ आते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने परमन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंची तो परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकाँर्डर पेश किया जिसको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया,परिवादी ने कुछ दूरी पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय भवन के बायीं तरफ से पीछे की ओर जाते हुए व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यह ही श्री ओम प्रकाश है जिन्होंने अभी अभी मुझसे मेरी जमीन का मुआवजा दिलवाने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 17,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे पैसे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे वाली दाहिनी साईड की जेब में रखे हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने उक्त व्यक्ति का पीछा कर उसे रूकवाया तथा उसको अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनो स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सुल्तान सिंह, संविदाकर्मी लेखाकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अथोर्टी आंफ इण्डिया ¼N.H.A.I.½ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक, मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व हमराही जाप्ते के आरोपी को यथास्थिति लेकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में बने उसके कार्यालय कक्ष आई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया किअभी-अभी ये दीनदयाल जी मेरे पास आये थे, मैने इनसे कोई रूपये नहीं मांगे इन्होंने खुद ही अपनी इच्छा से मुझे रूपये दिये हैं, जो मेरी जेब में हैं। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अथाँर्टी आँफ इण्डिया ¼N.H.A.I.½ ने पनियाला मोड स्थित हमारी जमीन का अधिग्रहण किया था, उक्त जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि दिलवाने की एवज में यह श्री ओम प्रकाश मेरे से कुल मुआवजा राशि का एक प्रतिशत 17,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग कर रहा था जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकाँर्डर मे रिकाँर्ड करके भी आपको दिया था, इनकी मांग के अनुसार उक्त 17,000 रूपये मैंने इनके मांगने पर आज इनको दिये हैं।

इसके पश्चात श्री ओम प्रकाशने पूछने पर बताया कि मेरा नामश्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सुल्तान सिंह, जाति मीणा, उम्र 60 साल निवासी हीरामोती सीनेमा के पीछे कोटपूतली हाल संविदाकर्मी लेखाकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अथाँर्टी आँफ इण्डिया ¼N.H.A.I.½ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड है। तत्पश्चात आरोपी श्री ओम प्रकाश को तसल्ली देकर पूछा कि आपने दिनांक 11.03.2024 को परिवादी श्री दीनदयाल की जमीन की मुआवजा राशि दिलवाने की एवज में कुल राशि का एक प्रतिशत 17,000 रूपये मांगे थे, इस पर आरोपी श्री ओम प्रकाश चुप हो गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बाँक्स से एक नया प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गयातथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया,घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री ओम प्रकाश के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री ओम प्रकाश को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.-1 व आर.-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।इसके बाद एक दूसरे नये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्रीओम प्रकाश के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गंदमैला हो गया जिसे उपस्थित दोनो गवाहान व श्री ओम प्रकाश को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री कपिल भाटिया से आरोपी की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की तरफ की दाहिनी जेब में 17,000 रूपये मिले, जिनको गिनकर दोनो गवाहान ने 500-500 रूपये के चौतीस नोट, कुल 17,000 रू0 होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उन्हीं नम्बरों के 17,000 रू0 के नोट होना पाये गये । बरामद शुदा 17,000/-रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी को पहनने हेतु दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाई जाकर पहनी हुई पेन्ट को निकलवाया जाकर पेन्ट की आगे तरफ वाली दाहिनी जेब के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बाँक्स से एक नया प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकालकर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री ओम प्रकाश की उक्त पेन्ट की दाहिनी साईड की आगे वाली जेब जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई थी उस जेब को बाहर निकालकर उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री ओम प्रकाश को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा श्री ओम प्रकाश की पेन्ट की उक्त जेब को सुखाया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। सायं 4.00 बजे आरोपी श्री ओम प्रकाश संविदाकर्मी लेखाकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अथाँर्टी आँफ इण्डिया ¼N.H.A.I.½ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री ओम प्रकाश, संविदाकर्मी के मध्य वक्त रिश्वत लेन देन दिनांक 27.05.2024 को हुई वार्ता जो कार्यालय हाजा के सरकारी डिजिटल वाँयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त रिकार्डशुदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की चार सीडियां तैयार की जाकर तीन सीडियों को सील्ड मोहर किया गया एवं एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकाँर्डर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त वार्ता रिकाँर्ड थी उक्त मैमोरी कार्ड को भी सील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत लेन देन पृथक से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री ओम प्रकाश, संविदाकर्मी लेखाकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अथाँर्टी आँफ इण्डिया ¼N.H.A.I.½कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री दीनदयाल पुत्र श्री फकीरचन्द सैनी, उम्र 46 साल, जाति माली, निवासी मौहल्ला माली टीबा नीयर शोभा सागर तालाब, बहरोड रोड, नारनौल, महेन्द्रगढ, हरियाणा की पनियाला मोड कोटपूतली स्थित जमीन की मुआवजा राशि दिलवाने की एवज में दौराने मांग सत्यापन दिनांक 11.03.2024 को कुल मुआवजा राषि का एक प्रतिशत 17,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 27.05.2024 को परिवादी से उक्त 17,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकडे जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

(यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सुल्तान सिंह, जाति मीणा, उम्र 60 साल, निवासी हीरामोती सीनेमा के पीछे कोटपूतली हाल संविदाकर्मी लेखाकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉर्टी ऑफ इण्डिया ¼N.H.A.I.½ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है। (कविता यादव) पुलिस निरीक्षक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कविता यादव पुलिस निरीक्षक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, ने प्रेषित की मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सुल्तान सिह मीणा निवासी हीरामोती सीनेमा के पीछे कोटपूतली हाल संविदाकर्मी लेखाकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉर्टी इण्डिया कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला कोटपूतली -बहरोड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री रघूवीर शरण, पुलिस निरीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 453 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर क्रमांक 514-17 दिनांक 28.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर प्रथम। 2 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटपूतली, जिला कोटपूतली -बहरोड़ 3 उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAGHUVEER SHARAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/05/2024 19:33:36

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1964				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)